कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 11/2024 **दिनांक 29/12/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्य़ाःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 28.12.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना नंन्दगंज व आबकारी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 45 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 28.12.2024 को थानाध्यक्ष कमलेश कुमार मय टीम व आबकारी निरीक्षक श्री नीरज यादव मय टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अगस्ता सलामतपुर का बार्डर बहद ग्राम कानाडीह के पास अभियुक्त गोरख बिन्द पुत्र चंद्रमा बिन्द निवासी ग्राम कानाडीह थाना नन्दगंज गाजीपुर उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 242/2024 धारा 60 (1)(E) 2 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.गोरख बिन्द पुत्र चंद्रमा बिन्द निवासी ग्राम कानाडीह थाना नन्दगंज गाजीपुर उम्र करीब 32 वर्ष।

बरामदगीः-

45 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब, 600 किग्रा0 लहन, शराब बनाने के उपकरण भट्ठी, 04 ड्रम प्लास्टिक का नीला 100-100 लीटर के, 01 ड्रम लोहा जिसमे पाइप लगा हुआ, 01 बडी पतेली एल्मोनियम की, 01 छोटी पतेली एल्मोनियम की, प्लास्टिक की 03 अदद गैलन 15-15 लीटर का रिफाइन्ड का तथा 01 अदद गैलन गोल डिब्बा रुचि वनस्पति का मित्तल रंग जिसमे एक खाली तथा 03 मे क्रमशः 15-15 लीटर शराब कच्ची तथा भरी हुई तथा प्लास्टिक के लाल व अन्य कलर के बन्द पैकेट जिसमे सफेद पन्नी है तथा EXTRA STRONG BAAZ POLY BAGS 120 MICRON 100% VIRGIN QUALIY अंकित है तथा 01 प्लास्टिक की पन्नी मे सफेद पाउडर फिटकरी

02. थाना बिरनो पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 194/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 303(3),317(2) बीएनएस से संबंधित वांछित 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 28. 12.2024 को उ0नि0 संजय कुमार यादव व मय हमराह द्वारा मुखबीर की सूचना पर अभियुक्त विशाल शिल्पकार पुत्र स्व0 योगेन्द्र शिल्पकार निवासी अरशरदपुर थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर एक अदद तमंचा .315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतुस .315 बोर व एक अदद मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया तथा वादी मुकदमा के बताने पर मु0अ0सं0 191/24 धारा 191(2),109(1) बीएनएस मे अभियुक्त सनी गुप्ता पुत्र प्रदीप गुप्ता निवासी अरसदपुर थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर का नाम प्रकाश मे आने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1 .विशाल शिल्पकार पुत्र स्व0 योगेन्द्र शिल्पकार निवासी अरशरदपुर थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर

2 .सनी गुप्ता पुत्र प्रदीप गुप्ता नि0 अरसदपुर थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर।

03. थाना करण्डा पुलिस टीम द्वारा 30 पैकेट नाजायज देशी ठेके की शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 28.12.2024 को उ0नि0 बृजेश्वर यादव मय टीम क्षेत्र मे मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर बरहपुर पुलिया वहद ग्राम बेलासी से अभियुक्त परमेश्वर बिन्द पुत्र स्व0 बीरबल बिन्द निवासी ग्राम बेलासी थाना करण्डा जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से 30 पैकेट नाजायज देशी ठेके की शराब ब्ल्यू लाइम (प्रत्येक 200 मि0ली0) बरामद हुआ। अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-155/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता-

परमेश्वर बिन्द पुत्र स्व0 बीरबल बिन्द निवासी ग्राम बेलासी थाना करण्डा जनपद गाजीपुर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 155/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना करण्डा गाजीपुर

बरामदगी-

30 पैकेट नाजायज देशी ठेके की शराब ब्ल्यू लाइम (प्रत्येक 200 मि0ली0) कुल 06 लीटर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर